न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2023

बउनवान

रोशनबाई आयु 67 वर्ष पुत्री भैरूलाल पत्नि सूरजमल, जाति मीणा निवासी छतरपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. गंगाराम पुत्र भैरूलाल, जाति मीणा, निवासी बमूलिया, तहसील बारां
2. अनारबाई पुत्री भैरूलाल पत्नि पृथ्वीराज, जाति मीणा, निवासी तिसाया, तहसील मांगरोल, जिला बारां
3. कल्याणी पुत्री भैरूलाल पत्नि माधोलाल, जाति मीणा निवासी रामपुरिया, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
4. कैलाशीबाई पुत्री भैरूलाल (मृतक)

   4/1 गिर्राज पुत्र नृसिंहलाल, जाति मीणा निवासी नलावता, तहसील पीपल्दा जिला कोटा, (राज0)

   4/2 धनराज पुत्र नृसिंहलाल, जाति मीणा निवासी नलावता, तहसील पीपल्दा जिला कोटा, (राज0)

   4/3 सम्पतबाई पुत्री नृसिंहलाल पत्नि जुगराज, जाति मीणा निवासी उदपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 128 दिनांक 20.07.2001 ग्राम रजपाली

न्यायालय तहसीलदार, बारां

अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज एडवोकेट (अपीलांट)

2. श्री धर्मेन्द्र सिह चौधरी एड0 (रेंस्पो. क्रम 1)

3. श्री विवेक वैष्णव एडवोकेट (रेंस्पो. क्रम 1ता 3, 4/1 ता 4/3)

निर्णय दिनांक 05.09.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:09 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम रजपाली की आराजी खसरा नंबर [illegible] 2 है., खसरा नंबर 33 रकबा 0.07 है. तथा खसरा नंबर 34 रकबा 2.01 है. [illegible] 3 कुल रकबा 2.10 है. के मूल खातेदार भूलीबाई पत्नि भैरूलाल ज[illegible] में दर्ज थी, जो अपीलांट व रेस्पोडेंट्स क्रम 1 ता 4 [illegible] भैरूला[illegible] ग्राम बमूलिया व रजपाली में अपने खाते की आराजियात थी, जिसमें ग्राम बमूलिया [illegible] भूलीबाई का नामान्तकरण संख्या 167 में अपीलांट व रेस्प[illegible]ट्स के नाम खुला पर[illegible] रजपाली की आराजी में अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया। रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा राजस्व कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों से मिली भगत कर ग्राम रजपाली की आराजी में अपीलांट का नाम हटाकर

उक्त नामांतकरण केम्प बारां में खुलवाया जिसमें मृतक के विधिक वारिसान की संपूर्ण जांच नही की गई। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स आपस में सगे भाई बहिन है तथा उपरोक्त आराजियात उन्हे अपनी माता से मिली हुई सम्पत्ति है तथा उक्त नामांतकरण में अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही किया गया। जिससे अपीलांट के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन हुआ है, अपीलांट मृतक भूलीबाई की विधिक वारिस है, उक्त महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअदांज करते हुये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामांतकरण तस्दीक किया है, जो विधि विरूद्ध होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामा. संख्या 128 दिनांक 20.07.2001 को निरस्त किया जाकर मृतक भूलीबाई के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत नामांतकरण खोले जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं पेरोकार सरकार की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो. क्रम 1 ता 4 की माता भूलीबाई की ग्राम बमूलिया एवं ग्राम रजपाली में भूमियां स्थित हैं। भूली बाई की मृत्यु उपरांत खोले गये ग्राम बमूलिया के नामान्तकरण संख्या 167 में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज है। परन्तु ग्राम रजपाली की आराजी में अपीलांट का नाम दर्ज नही किया गया है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स आपस में सगे भाई बहिन है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 128 दिनांक 20.07.2001 को निरस्त किया जाकर मृतक भूलीबाई के समस्त विधिक वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत नामांतकरण खोले जाने का आदेश फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 कथन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में अपीलांट द्वारा ग्राम रजपाली तहसील बारां की इंतकाल संख्या 128 दिनांक 20.07.2001 को निरस्त करने व अपीलांट का नाम राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज करने हेतु अनुतोष मांगा गया है। अपीलांट रेस्पो0 क्रम 1 की बहिन है, तथा उक्त आराजी प्रकरण के पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है, तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स मीना जाति से है, जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स क्रम 1 ने न्यायिक दृष्टांत 2014 (3) DNJ (Raj.) 1050 Bhooli (Smt) versus Chanda & Ors. तथा 2022(4)CJ(Civ)(SC)971 Kamla Neti (D)th. LR^s vs. The Special Land Acquisition Officer &Ors की छायाप्रतियां प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की।

इस पर रिपीटल में वकील [illegible] ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को इस न्यायालय द्वारा हस्तगत अपील में वांछित [illegible] प्रदान नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 सक्षम राजस्व [illegible] अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अभिभाषक रेस्पो. क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत नियमित वाद के संबंध में हैं अपील के संबंध में नहीं है। अतः फौती इंतकाल में अ[illegible]ांट का नाम दर्ज किया जावे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

आराजीयात की खातेदार भूलीबाई के फौत होने पर उसके वारिसान के हक में नामांतकरण दर्ज, परन्तु अपीलांट के हक में दर्ज नही किया गया। अपीलांट का मृतक भूली की पुत्री नही होना पक्षकार द्वारा स्वीकार नही किया गया है। अतः जब अन्य पुत्रीयों के नाम नामांतकरण दर्ज किया गया तो अपीलांट के नाम भी वारिस की हैसियत से नामांतकरण दर्ज होना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि मीणा जाति में पुत्रियों का पैतृक संपत्ति में हिस्सा नही होता तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नही होता। नामांतरकरण एक फिस्कल कार्यवाही होने से यह तथ्य दावें में ही बाद साक्ष्य तय हो सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर ग्राम रजपाली का नामांतरण संख्या 128 दिनांक 20.07.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रति प्रेषित किया जाता है कि मृतक भूलीबाई पत्नि भैरूलाल, जाति मीणा निवासी ग्राम बमूलिया के समस्त वारिसान की जांच कर पुनः नये सिरे से समस्त वारिसान के हक में नामांतरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.10.11 16:38:09 IST
Reason: SelfAttested